"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]　　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018 — फाल्गुन 4, शक 1939

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2018

अधिसूचना

एफ 2–33/दो–गृह/रापुसे/2007. — छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 7 में, उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "(4) भर्ती प्रकिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिसके लिए परीक्षा शुल्क, विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।"

2. नियम 7 में, उप–नियम (6) में, –

   (क) खण्ड (एक), (दो), (पांच) एवं (छः) का लोप किया जाये।

   (ख) खण्ड (तीन), (चार), (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा – (क) आवेदकों का शारीरिक नापजोख (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर), नियम 9 के उप–नियम (5) में विहित शारीरिक अर्हता की पूर्णता की जांच करने हेतु किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने संबंधी अनुमति पत्र, केवल उन अभ्यर्थियों को दिया जायेगा, जो शारीरिक नापजोख में सफल हुए हों।

   (ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये, पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी जिसे 05:40 मिनट में पूर्ण करना होगा एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसे 03:20 मिनट में पूर्ण करना होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्वालीफाईंग होगी एवं इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जायेंगे तथा इसमें असफल अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित नही किया जायेगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी, चयन समिति के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में, चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी में आयोजित की जायेगी। रात्रि के दौरान अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिकार्ड रखने तथा किन्हीं विवादों का समाधान करने हेतु, बहुउद्देशीय कार्ड का आदर्श नमूना, विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(चार) लिखित परीक्षा– (क) लिखित परीक्षा, कुल 100 अंको की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के अनुसार, स्वयं विभाग द्वारा अथवा शासन द्वारा नियुक्त/अधिकृत एजेंसी के द्वारा किया जायेगा।

(ख) आरक्षक (चालक) पद हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी, भारी वाहन का ड्रायविंग लायसेंस का धारक होगा तथा उसे लिखित परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंक का ट्रेड टेस्ट भी देना होगा। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तीन सदस्यीय उप समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें किसी अन्य इकाई के एमटी शाखा के एक अधिकारी को भी शामिल किया जायेगा।

(ग) आरक्षक (ट्रेडमैन) के पद हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंक का ट्रेड टेस्ट भी देना होगा। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तीन सदस्यीय उप समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें से एक सदस्य, संबंधित ट्रेड का अनुभवी कर्मचारी होना चाहिये।

(घ) उपरोक्त पैरा (ख) एवं (ग) में उल्लिखित दोनों पदों के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक होगा। शेष नियम ऐसी होंगी, जैसा कि आरक्षक (जीडी) के पद के लिये है।''

(सात) चयन सूची – (क) चयन सूची, लिखित परीक्षा के 100 अंक के आधार पर तैयार की जायेगी तथा आरक्षक (ट्रेडमैन) एवं आरक्षक (चालक) के पदों के लिए सूची, लिखित परीक्षा के 100 अंक एवं ट्रेड टेस्ट के 25 अंक (कुल 125 अंक) के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ख) सर्वप्रथम, सभी वर्गो के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग) के अभ्यर्थी भी, जो ऐसे अनारक्षित पदों की सभी अर्हता पूरी करते हों, मेरिट के आधार पर सम्मिलित होंगे। शेष अभ्यर्थियों में से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु उनके अपने–अपने जातिवर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पृथक से सूची तैयार की जायेगी।

(ग) ऐसी सूची तैयार किये जाने के पश्चात, होमगार्ड के लिये आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए खण्डवार आरक्षण प्रयोज्य होगा। यदि उपरोक्त उल्लिखित सूचियों में कुल 25 प्रतिशत होमगार्ड अभ्यर्थी नही हैं तो परीक्षा में शामिल सभी होमगार्ड की सूची, मेरिट क्रम में तैयार की जायेगी तथा मेरिट क्रम में केवल शीर्ष के 25 प्रतिशत में से ऐसे नाम, पैरा (ख) में उल्लिखित अनारक्षित एवं आरक्षित पदों की सूची में सम्मिलित किये जायेंगे, जितने कि 25 प्रतिशत आरक्षण लाभ देने के लिए आवश्यक हो। केवल ऐसे नगर सैनिकों, जो न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, को ही नगर सेना कोटे में आरक्षण की पात्रता है। इस प्रतिस्थापना प्रक्रिया में, मेरिट में निम्न क्रम के गैर होमगार्ड अभ्यर्थी के नाम, अनारक्षित तथा आरक्षित सूचियों से स्वतः बाहर हो जायेंगे।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों का वर्गवार 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है। इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार तैयार की जायेगी और 10 प्रतिशत की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी। प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी, केवल उसी वर्ग में होगी जिसमें 10 प्रतिशत का मानदण्ड पूरी नही होती है।

(ङ) होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में, कोई भी पद, आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत नही किये जायेंगे, किन्तु ये पद अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे।

(च) महिलाओं के लिए आरक्षित पदों हेतु पृथक सूचियां तैयार की जायेगी। महिलाओं के लिये आरक्षण, खण्डवार सीधा आरक्षण है तथा पात्र महिलायें उपलब्ध न होने की स्थिति में, पद आगामी वर्ष के लिये अग्रनीत नही किये जायेंगे। यदि किसी भी संवर्ग में पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोई पद रिक्त रह जाती हैं तो उन पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।''

3. नियम 8 में,–

(क) शब्द ''सीधी भर्ती हेतु आरक्षण के संबंध में'' के पूर्व, क्रमांक (2) को क्रमांक (2) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये;

(ख) उप–नियम (2) में खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(घ) उन जिलों, जहां सहायक आरक्षक के पद स्वीकृत हैं, में पदस्थ सहायक आरक्षकों के लिये 15 प्रतिशत समस्तर आरक्षण होगा।''

4. नियम 14 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(1) सीधी भर्ती के लिये, आरक्षक (जीडी) के पद के लिये अंतिम मेरिट सूची, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी तथा आरक्षक (चालक/ट्रेडमैन) के पद के लिये अंतिम सूची, लिखित परीक्षा एवं ट्रेड टेस्ट में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्तियां, पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम मेरिट सूची से की जायेंगी।''

5. नियम 16 में, उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(5) शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता तथा पारदर्शिता के लिए बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना, विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.के. माथुर, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 2–33/दो–गृह/रापुसे/2007. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21–02–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.के. माथुर, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 21st February 2018

NOTIFICATION

No. F 2-33/Two Home/S.P.S./2007. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 7, for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :-

"(4) Online application forms for recruitment process shall be invited for which the examination fee shall be determined by the department."

2. In rule 7, in sub-rule (6),-

(a) clause (i), (ii), (v) and (vi) shall be omitted;

(b) for clause (iii), (iv) and (vii), the following shall be substituted respectively, namely:-

"(iii) Physical Efficiency Test- (a) Physical measurement (excluding eye sight and other tests related to eyes) of applicants shall be conducted to check fulfilment of the Physical Qualifications prescribed in sub-rule (5) of rule 9. Permission letter for participation in Physical Efficiency Test shall be given only to those applicants who are successful in physical measurement.

(b) For Physical Efficiency Test, there shall be a 1500 meter race for male candidates, which has to be completed in 5.40 minutes and an 800 meter race for women candidates, which has to be completed in 3.20 minutes. The physical efficiency test shall be qualifying and no marks shall be awarded for this. The candidates unsuccessful in this shall be declared as failed at this level and they shall not appear in the written examination. If dissatisfied with his performance evaluation, the candidate can appeal before the Selection Committee, which shall be decided immediately. In this context, the decision of the selection committee shall be final.

(c) The Physical Efficiency Test shall be conducted under sufficient light between sunrise and sunset. This test shall not be carried out during night or under artificial light. To keep the record of Physical Efficiency Test and to resolve any disputes, the specimen of model multipurpose card, shall be decided by the department.

(iv) Written Examination- (a) The written examination shall be of 100 marks and its duration shall be of 02 hours. In written examination, objective type questions of General Knowledge, Intellectual Capacity, Analytical Capability and Arithmetic shall be asked. The written examination shall be conducted either by the Department itself or by an agency appointed/authorized by the Government, as per the approval of the Head of the Department.

(b) The candidates appearing for the post of Constable (Driver), shall be a holder of Heavy vehicle Driving License and shall also take a Trade Test of 25 marks in addition to the written examination. A three member sub-committee shall be constituted by the Inspector General of Police, Range for the Trade Test, in which an officer of the MT branch of any other unit shall also be included.

(c) The candidates appearing for the post of Constable (Tradesman), shall also take a Trade Test of 25 marks in addition to the written examination. A three member sub-committee shall be constituted by the Inspector General of Police, Range for Trade Test, out of which one member should be an experienced employee of the concerned trade.

(d) The candidates of both the posts mentioned in paragraph (b) and (c) above shall mandatorily appear in Physical Efficiency Test. Remaining rules shall be same as that of for the post of Constable (GD).

(vii) Selection List- (a) The select list shall be prepared on the basis of written examination of 100 marks. The list for the posts of Constable (Tradesman) and Constable (Driver) shall be prepared on the basis of written examination of 100 marks and Trade Test of 25 marks (Total 125 marks).

(b) At first a list of candidates eligible for unreserved posts from the candidates of all the categories shall be prepared. The candidates of reserved categories (Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Other Backward Classes) who fulfill all the qualification of such unreserved post shall also be included on the basis of merit. Separate lists shall be prepared for posts reserved for Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Other Backward Classes, from the remaining candidates of their respective caste category.

(c) After the preparation of such lists, reservation for Home guards and Block-wise reservation for ex-serviceman shall be applied. If the above mentioned lists do not have 25 percent Home Guard candidates, then the list of all the Home Guards who appeared in the examination will be prepared in order of merit and only such names from top 25 percent in order of merit shall be included in the list of unreserved and reserved posts mentioned in paragraph (b), which are necessary to extend advantage of 25 percent reservation. Only such Home Guards who have rendered minimum three years of service are eligible for reservation under Home Guard Quota. Under this replacement procedure, the names of non-home guard candidates which are lowest on order of merit shall be automatically discarded from un-reserved and reserved lists.

(d) There is a category-wise 10 percent direct reservation for ex-servicemen. Their merit list shall be prepared caste-category wise and the calculation 10 percent shall also be caste category wise. The replacement procedure shall only apply in those categories where 10 percent criterion is not fulfilled.

(e) In case of non-availability of eligible candidates in Home guard or Ex-serviceman category, no post shall be carry forwarded for the next year but these posts shall be filled by other available candidates.

(f) Separate lists shall be prepared for the post reserved for women. Reservation for women is block wise direct reservation and the post will be not carry forwarded for next year in case of non availability of eligible candidates. If there are any posts left vacant due to non availability of eligible women candidates in any category, those posts will be filled by male candidates of that same category."

3. In rule 8,-

(a) before the word "The division of the posts", the number (1) shall be re-numbered as number (2);

(b) in sub-rule (2), after clause (c), the following shall be added, namely :-

"(d) There shall be 15 percent horizontal reservation for Auxiliary Constable posted in those districts where posts of Auxiliary Constable are sanctioned."

4. In rule 14, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) For direct recruitment, the final merit list for the post of the Constable (GD) shall be prepared on the basis of marks obtained in the written examination and the final list for the post of Constable (Driver/Tradesman) shall be prepared on the basis of total

marks obtained in the written examination and trade test. The appointment shall be made from the final merit list, subject to the availability of the posts."

5. In rule 16, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :-

"(5) Format and sample of multipurpose card for uniformity and transparency in Physical measurement and Physical Efficiency Test shall be determined by the department."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.